प्रारंभिक परीक्षा

सार्वजनिक भागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमे (SLAPP Suits)

संदर्भ

दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकारों के खिलाफ जारी किए गए गैग ऑर्डर को रद्द कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट की 2024 की चेतावनी को दर्शाता है कि शक्तिशाली संस्थाएं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक बहस को रोकने के लिए SLAPP मुकदमों तथा पूर्व-परीक्षण निषेधाज्ञा(pre-trial injunctions) का दुरुपयोग करती हैं।

SLAPP मुकदमे क्या हैं?

- **ये ऐसे मुकदमे (आमतौर पर मानहानि, उपद्रव या इसी प्रकार के दावे) होते हैं जिन्हें व्यक्ति, निगम या संस्थाएँ आलोचकों, पत्रकारों, कार्यकर्ताओं या गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के खिलाफ दायर करते हैं।**
- इनकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई है।
- **दुरुपयोग के हालिया रुझान:** शक्तिशाली कंपनियाँ या व्यक्ति इन्हें पत्रकारों, कार्यकर्ताओं या नागरिक समाज को डराने, चुप कराने या बोझ डालने के लिए दायर करते हैं।
    - इसका उद्देश्य आवश्यक रूप से अदालत में जीतना नहीं है, बल्कि संसाधनों को खत्म करना, मुकदमेबाजी को लम्बा खींचना और सार्वजनिक जांच को रोकना है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड 2024) -

- **पत्रकारिता की स्वतंत्रता अनुच्छेद-19(1)(a) के तहत संवैधानिक अधिदेश का हिस्सा है।**
- मानहानि मामलों में पूर्व-परीक्षण के दौरान दी गई एकपक्षीय निषेधाज्ञाएँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मुकदमे से पहले ही "मृत्युदंड" देने के समान हैं।
- **अदालतों को बोनार्ड मानक (UK मिसाल) का पालन करना चाहिए** – मानहानि के मामलों में निषेधाज्ञा केवल असाधारण परिस्थितियों में दी जानी चाहिए, जब सामग्री दुर्भावनापूर्ण या स्पष्ट रूप से झूठी हो।
- **अदालतों को निषेधाज्ञा जारी करने से पहले सावधानीपूर्वक तीन-स्तरीय परीक्षण करना चाहिए:**
    - प्रथम दृष्टया मानहानि का मामला मौजूद हो।
    - सुविधा का संतुलन निषेधाज्ञा के पक्ष में हो।
    - निषेधाज्ञा न मिलने पर अपूरणीय क्षति होने की संभावना हो।
- पत्रकारिता से जुड़े मामलों में इस परीक्षण का यांत्रिक रूप से प्रयोग करने के विरुद्ध चेतावनी दी गई।
- **गैग ऑर्डर केवल पत्रकारों को ही नहीं, बल्कि नागरिकों के जानने के अधिकार को भी प्रभावित करते हैं।**

- **निषेधाज्ञा (Injunction)** एक न्यायालय का आदेश होता है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को कुछ करने या न करने का निर्देश दिया जाता है।
    - मानहानि मामलों में इसका अर्थ अक्सर किसी सामग्री के प्रकाशन या प्रसार को रोकना होता है।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा-356** में मानहानि को परिभाषित किया गया है।

स्रोत: द हिंदू

भारत और FAO ने विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए हाथ मिलाया

संदर्भ

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (MoFAHD) के तहत मत्स्य पालन विभाग (DoF) ने भारत में ब्लू पोर्ट बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के साथ एक तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (TCP) समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

FAO के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम (TCP) समझौते के बारे में -

- **जलीय मूल्य श्रृंखला में पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक समझौता।**
- **पायलट स्थल**: दो बंदरगाह - **वनकबारा (दीव)** और **जखाऊ (गुजरात)**।
- **प्रदान की गई सहायता:**
    - निवेश परियोजनाओं की पहचान और डिज़ाइन के लिए रणनीतिक और परिचालन उपकरण।
    - परियोजनाएँ बंदरगाहों की स्थिरता, दक्षता और लचीलेपन पर केंद्रित होंगी।
    - चुनौतियों को समझने और स्थायी समाधानों को लागू करने के लिए सार्वजनिक और निजी हितधारकों को प्रशिक्षण।

ब्लू पोर्ट्स फ्रेमवर्क -

- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग (DoF) द्वारा कार्यान्वित।
- **लक्ष्य**: प्रौद्योगिकी को पर्यावरणीय संरक्षण के साथ जोड़ते हुए स्मार्ट एवं एकीकृत मत्स्य बंदरगाहों का विकास करना।
- तीन पायलट बंदरगाहों अर्थात् वनकबारा (दीव), कराईकल (पुडुचेरी) और जखाऊ (गुजरात) को 369.8 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ मंजूरी दी गई है।
- **प्रमुख विशेषताएँ**:
    - **तकनीकी विशेषताएँ**: वास्तविक समय में बंदरगाह प्रबंधन के लिए IoT उपकरण, सेंसर नेटवर्क, सैटेलाइट संचार और डेटा विश्लेषण।
    - **पर्यावरण अनुकूल विशेषताएं**:
        - वर्षा जल संचयन
        - ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था
        - विद्युत चालित उपकरण
        - अपशिष्ट प्रबंधन और सीवेज उपचार
        - समुद्री मलबा सफाई प्रणालियाँ

स्रोत: पीआईबी

अमेरिका चाबहार बंदरगाह के लिए दी गई प्रतिबंधों से छूट वापस लेगा

संदर्भ

अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना में भारत की भागीदारी के लिए प्रतिबंधों से दी गई छूट को रद्द करने की घोषणा की।

समाचार के बारें में और अधिक जानकारी -

- **2018 में दी गई इस छूट ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत को अपना निवेश जारी रखने की अनुमति दी थी।**
- भारत इस परियोजना पर 2016 से अब तक लगभग ₹200 करोड़ (योजनाबद्ध ₹400 करोड़ में से) खर्च कर चुका है।

अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध -

- **ईरान स्वतंत्रता एवं प्रसार-रोधी अधिनियम (IFCA), 2012 के तहत देशों को ईरान से तेल और गैस खरीदने से रोकना।**
- 2018 में, अमेरिका JCPOA (ईरान परमाणु समझौते) से हट गया, जिसके तहत
  - ईरान के बैंकों को वैश्विक लेनदेन (जैसे सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस (SWIFT) प्रणाली का उपयोग) से प्रतिबंधित कर दिया गया।
  - धातुओं, नौवहन, जहाज निर्माण और बंदरगाह संचालन में व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
  - विदेशी कंपनियों (यहाँ तक कि अमेरिका के बाहर की कंपनियों) को ईरान के साथ व्यापार करने पर दंडित किया गया → जिन्हें **द्वितीयक** या **बाह्यक्षेत्रीय प्रतिबंध** कहा जाता है।

भारत को दी गई छूट (चाबहार छूट, 2018) -

- ईरान पर प्रतिबंधों के बावजूद 2018 में अमेरिका द्वारा विशेष छूट दी गई।
- चाबहार बंदरगाह और संबंधित परियोजनाओं पर काम जारी रखने की अनुमति दी गई।
- **छूट के कारण:**
  - **अफगानिस्तान के लिए कनेक्टिविटी** → पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान किया गया।
  - **मानवीय आपूर्ति** → अफगानिस्तान को खाद्यान्न, दवाइयां और सहायता भेजने में सहायता की गई।
  - **क्षेत्रीय स्थिरता** → परियोजना को अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास के लिए लाभकारी माना गया।
- छूट से यह सुनिश्चित हो गया कि भारत अमेरिकी दंड का सामना किए बिना बंदरगाह, रेलवे संपर्क और संबद्ध बुनियादी ढांचे में निवेश कर सकेगा।

चाबहार बंदरगाह के बारे में -

- **अवस्थिति**: दक्षिण-पूर्वी ईरान, ओमान की खाड़ी।
  - सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत, ऊर्जा-समृद्ध दक्षिणी तट के निकट।
  - समुद्र तक सीधी पहुंच वाला एकमात्र ईरानी बंदरगाह।
- **महत्व:**
  - **व्यापार के लिए स्वर्ण द्वार:** भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया को जोड़ता है।
  - **भारत का बाईपास मार्ग**: अफगानिस्तान तक माल परिवहन के लिए पाकिस्तान से होकर गुजरना नहीं पड़ता।
  - **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा**: रूस और अन्य देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देगा।
  - **चीन का मुकाबला:** अरब सागर में चीनी उपस्थिति का विकल्प प्रदान करता है।
  - **ईरानी गेटवे**: परियोजना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका।

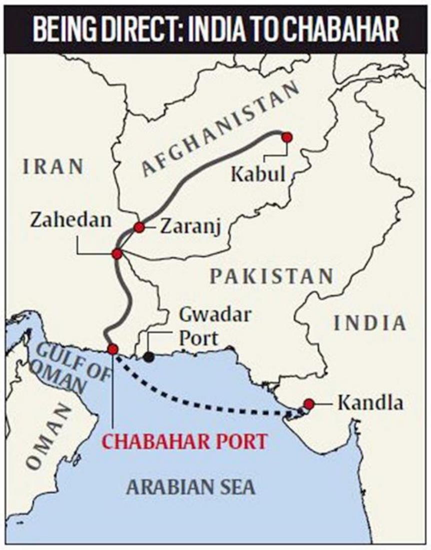

स्रोत: द हिंदू

चुनाव संचालन नियम, 1961

संदर्भ

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम-49B के तहत मौजूदा दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

चुनाव संचालन नियम, 1961 के बारे में -

- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA, 1951) की धारा-169 के तहत तैयार किए गए वैधानिक नियमों का एक सेट।**
- ये भारत में संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के वास्तविक संचालन को विनियमित करते हैं।
- **इसे कौन तैयार करता है?** केंद्र सरकार, भारत के चुनाव आयोग (ECI) के परामर्श से।
- **उद्देश्य:**
    - विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है (नामांकन से लेकर परिणाम तक)।
    - उम्मीदवारों का नामांकन, जांच, नाम वापसी, मतदान, मतगणना, परिणामों की घोषणा शामिल है।
    - ईवीएम, मतपत्र, डाक मतपत्र, निविदा वोट और नोटा के लिए नियम निर्धारित करता है।
    - चुनावी प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना।

हाल के प्रमुख परिवर्तन (2025) -

- **उम्मीदवारों के फोटो:** अब ईवीएम मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो रंगीन मुद्रित किए जाएंगे।
    - उम्मीदवार का चेहरा फोटो के तीन-चौथाई हिस्से पर होगा ⟶ बेहतर दृश्यता।
- **अंक:** उम्मीदवारों/नोटा के क्रमांक भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में मुद्रित किए जाएंगे।
    - स्पष्टता के लिए फ़ॉन्ट का आकार 30 निश्चित किया गया है, बोल्ड में लिखा गया है।
- **एकसमान फ़ॉन्ट:** सभी उम्मीदवारों/नोटा के नाम एक ही फ़ॉन्ट प्रकार और आकार में मुद्रित किए जाएंगे, जो आसानी से पढ़े जाने के लिए पर्याप्त बड़े होंगे।
- **कागज की गुणवत्ता और रंग:** ईवीएम मतपत्र 70 जीएसएम कागज पर मुद्रित किए जाएंगे।
    - विधानसभा चुनावों के लिए मतपत्र गुलाबी रंग के होंगे (निर्दिष्ट RGB मान के साथ)।
- **कार्यान्वयन:** इन उन्नत मतपत्रों का उपयोग बिहार चुनाव (2025) से शुरू किया जाएगा।

स्रोत: पीआईबी

नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर कन्वेंशन

संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत जांच आयोग (COI) की रिपोर्ट में इजरायली अधिकारियों पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है, तथा राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को उकसावे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जो 1948 के संयुक्त राष्ट्र नरसंहार कन्वेंशन की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर कन्वेंशन के बारे में -

- **9 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया (12 जनवरी 1951 को लागू हुआ)।**
- **यह युद्धकाल और शांतिकाल दोनों पर लागू होता है।**
- **अनुच्छेद II: नरसंहार को परिभाषित करता है**
  - किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किए गए कार्य, जिनमें शामिल हैं:
    - समूह के सदस्यों की हत्या करना।
    - गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति पहुँचाना।
    - जानबूझकर जीवन की परिस्थितियों को इस प्रकार प्रभावित करना कि भौतिक विनाश हो।
    - जन्म रोकने के लिए उपाय लागू करना।
    - बच्चों को जबरन दूसरे समूह में स्थानांतरित करना।
- **दायित्व:**
  - **राज्यों के कर्तव्य**: घरेलू कानून बनाकर तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाकर नरसंहार को रोकना और दंडित करना।
  - **संयुक्त राष्ट्र की भूमिका**: हस्ताक्षरकर्ता संयुक्त राष्ट्र (अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सुरक्षा परिषद सहित) से नरसंहार के मामलों में हस्तक्षेप करने का आह्वान कर सकते हैं।
  - **अपरिहार्य**: कोई भी राज्य यह दावा नहीं कर सकता कि नरसंहार एक "आंतरिक मामला" है।

नरसंहार कन्वेंशन का बाद में प्रभाव -

- इस कन्वेंशन के नियम विशेष संयुक्त राष्ट्र न्यायालयों के लिए कानूनी आधार बने, जैसे **रवांडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTR)** और **भूतपूर्व यूगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण (ICTY)**, जिन्होंने 1990 के दशक में बड़े पैमाने पर हुई हत्याओं के मामलों की सुनवाई की।
- 1948 के कन्वेंशन में दी गई **जनसंहार की परिभाषा** को **1998 के रोम संविधि (Rome Statute)** में शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)** की स्थापना हुई।

जेंडर स्नैपशॉट 2025 रिपोर्ट

संदर्भ

जेंडर स्नैपशॉट 2025 को संयुक्त राष्ट्र महिला और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) द्वारा जारी किया गया।

मुख्य अंश -

- **गरीबी और असमानता**
  - यदि वर्तमान रुझान जारी रहे तो 2030 तक 351 मिलियन महिलाएँ और लड़कियाँ अत्यधिक गरीबी में रह सकती हैं।
  - 2020 से महिला गरीबी लगभग 10% पर अटकी हुई है।
  - जलवायु परिवर्तन और संघर्ष से असमानताएँ और बिगड़ने का खतरा है।
- **प्रगति प्राप्त**
  - 2000 के बाद से मातृ मृत्यु दर में 39% की गिरावट आई है।
  - लड़कियों के स्कूल नामांकन में वैश्विक स्तर पर सुधार हुआ है।
  - बाल विवाह में कमी आई है: 2014 में 22% से 2024 में 18.6%।
- **असफलताएँ और अंतराल**
  - महिलाएं पुरुषों की तुलना में अवैतनिक घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों में 2.5 गुना अधिक घंटे व्यतीत करती हैं।
  - महिलाओं के पास संसद की कुल सीटों का <1/3 हिस्सा है और प्रबंधकीय भूमिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम है ⟶ नेतृत्व में लैंगिक समानता आने में लगभग एक सदी लग सकती है।
  - **डिजिटल विभाजन (Digital divide): 2024** में **70%** पुरुषों की तुलना में केवल **65%** महिलाएँ इंटरनेट का उपयोग करती हैं।
    - इस अंतर को पाटने से 30 मिलियन महिलाओं को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है और 2030 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है।
- **भेद्यता और हिंसा**
  - **2024** में पुरुषों की तुलना में **64** मिलियन अधिक महिलाएँ खाद्य असुरक्षित थीं।
  - **15–49** वर्ष की प्रत्येक **8** में से **1** महिला ने पिछले वर्ष में किसी करीबी साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का सामना किया।
  - **2024** में **676** मिलियन महिलाएँ और लड़कियाँ जानलेवा संघर्ष के **50** किमी के भीतर रहती थीं — **1990** के दशक के बाद सबसे अधिक।
- **राजनीतिक नेतृत्व: 102 देशों में** कभी **भी कोई महिला राज्य या सरकार की प्रमुख नहीं रही**।
- **भविष्य के जोखिम**
  - **जलवायु परिवर्तन** (सबसे खराब स्थिति) ⟶ 2050 तक **158 मिलियन और महिलाओं को** अत्यधिक गरीबी में धकेल सकता है।
  - **जनरेटिव एआई व्यवधान**: महिलाओं की नौकरियाँ(27.6%) पुरुषों की नौकरियों (21.1%) की तुलना में अधिक जोखिम में हैं।

अवसर और सिफारिशें -

- शिक्षा, देखभाल अर्थव्यवस्था, हरित रोजगार, सामाजिक संरक्षण में त्वरित कार्रवाई से 2050 तक महिलाओं में अत्यधिक गरीबी में 110 मिलियन की कमी आ सकती है।
- इससे अनुमानतः 342 ट्रिलियन डॉलर का संचयी वैश्विक आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
- बीजिंग+30 एक्शन एजेंडा से जुड़ा → 6 तत्काल प्राथमिकताएं: हिंसा समाप्त करना, गरीबी समाप्त करना, नेतृत्व सुनिश्चित करना, जलवायु न्याय, डिजिटल समावेशन और मजबूत निवेश।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

फ्रंटियर 50 पहल

संदर्भ

नीति आयोग द्वारा अपने फ्रंटियर टेक हब के अंतर्गत फ्रंटियर 50 पहल शुरू की गई।

यह क्या है?

- **यह सेवा वितरण, उत्पादकता और नागरिक कल्याण में सुधार के लिए 50 आकांक्षी जिलों/ब्लॉकों में अग्रणी प्रौद्योगिकियों (एआई, आईओटी, ड्रोन, ब्लॉकचेन) को तैनात करने की एक पहल है।**
- **उद्देश्य:**
    - फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी से सिद्ध फ्रंटियर टेक उपयोग मामलों को तेज़ी से अपनाना।
    - सरकारी सेवाओं (स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, कल्याणकारी सेवाएँ प्रदान करना) की संतृप्ति प्राप्त करना।
    - 2047 तक कम सेवा वाले क्षेत्रों में डिजिटल और विकास के बीच की खाई को पाटना।

स्रोत: पीआईबी

मुख्य परीक्षा

पाकिस्तान-सऊदी अरब रक्षा समझौता: भारत और पश्चिम एशिया पर प्रभाव

संदर्भ

पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हाल ही में एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को औपचारिक रूप दिया गया है।

रणनीतिक संदर्भ -

- **इजरायल की बढ़ती गतिविधियां:** ईरान, लेबनान, सीरिया और यमन में इजरायल के व्यापक अभियानों के बीच, कतर में इजरायल के हमले के कुछ दिनों बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए।
- **अमेरिकी सुरक्षा गारंटी में कमी:** खाड़ी सुरक्षा के प्रति वाशिंगटन की प्रतिबद्धता कम होने के कारण, रियाद अपने रक्षा साझेदारों में विविधता ला रहा है।
- **ईरान का परमाणु उदय:** यह समझौता रियाद के दीर्घकालिक प्रतिद्वंद्वी ईरान के विरुद्ध सऊदी प्रतिरोध को मजबूत करता है।
- **पाकिस्तान का वित्तीय तनाव:** इस्लामाबाद ने रियाद के साथ गठबंधन करके महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता और सैन्य विश्वसनीयता हासिल कर ली है।
- **ऐतिहासिक निरंतरता:** मक्का और मदीना की रक्षा करने तथा सऊदी सेनाओं को प्रशिक्षण देने में पाकिस्तान की पिछली भूमिका पर आधारित।

समझौते के प्रमुख खंड -

- **आपसी सुरक्षा धारा (Mutual Defence Clause):** "किसी भी देश के खिलाफ कोई आक्रामकता दोनों के खिलाफ आक्रामकता मानी जाएगी।"
- **संयुक्त निवारण (Joint Deterrence):** दोनों राष्ट्र बाहरी खतरों के खिलाफ निवारक और रक्षा सहयोग को मजबूत करने का वचन देते हैं।
- **व्यापक सहयोग (Comprehensive Cooperation):** इसमें प्रशिक्षण, सलाहकार सेवाएँ, हथियार खरीद और संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं।
- **सुरक्षा संबंधों का संस्थागत रूप देना (Institutionalisation of Security Ties): 1982** के द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग समझौते पर आधारित, यह दशकों पुराने अस्थायी व्यवस्थाओं को औपचारिक रूप देता है।
- **परमाणु क्षमता की अस्पष्टता (Ambiguity of Nuclear Umbrella):** स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, लेकिन सऊदी अधिकारियों ने संकेत दिया कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता निवारण में आधार हो सकती है।
- **द्विपक्षीय सीमा से परे (Beyond Bilateralism):** इसे "क्षेत्रीय और वैश्विक शांति" के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो बड़े रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं का संकेत देता है।

दोनों देशों को क्या लाभ होगा?

पाकिस्तान	सऊदी अरब
• **आर्थिक जीवनरेखा:** गहरे वित्तीय संकट के समय सऊदी निवेश और सहायता को सुरक्षित करता है। • **सामरिक प्रासंगिकता:** दक्षिण एशिया से परे,	• **उन्नत निवारण:** पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार के माध्यम से सैन्य गहराई प्राप्त करना, ईरान और इजरायल को संतुलित करना।

अखिल-इस्लामिक सुरक्षा प्रदाता के रूप में इस्लामाबाद के दावे को मजबूत करता है। ● **हथियार खरीद:** संभवतः इससे पाकिस्तान को सऊदी फंडिंग के माध्यम से अमेरिकी हथियारों तक पहुंच प्राप्त हो सकेगी। ● **वैश्विक स्थिति:** पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की भूमिका को बढ़ावा, खाड़ी राजतंत्रों के साथ संबंधों को बढ़ावा। ● **परमाणु सौदेबाजी:** सऊदी अरब को संरक्षण प्रदान करके तथा निवारण को मजबूत करके अपनी परमाणु स्थिति को बढ़ाता है। ● **घरेलू राजनीति:** सैन्य प्रतिष्ठान प्रतिष्ठा हासिल करता है, जिससे पाकिस्तान की विदेश नीति पर सेना का प्रभाव मजबूत होता है।	● **सामरिक स्वायत्तता:** अनिश्चित अमेरिकी गारंटियों पर निर्भरता कम करती है, सुरक्षा साझेदारों में विविधता लाती है। ● **ईरान एवं उसके छद्मों का मुकाबला:** यमन में हूथियों तथा इराक/लेबनान में शिया मिलिशिया के विरुद्ध सुरक्षा को मजबूत करना। ● **क्षेत्रीय नेतृत्व:** सऊदी अरब को अखिल-इस्लामी रक्षा संरचना के नेता के रूप में स्थापित करना। ● **प्रशिक्षित जनशक्ति तक पहुंच:** पाकिस्तान की अनुभवी सेना और विशेष बलों का लाभ उठाया जा सकेगा। ● **प्रतीकात्मक संदेश:** किसी परमाणु राज्य के साथ पहला बड़ा अरब रक्षा समझौता, जो रियाद की नई सुरक्षा नीति का संकेत है।

भारत का रुख और निहितार्थ -

- **आधिकारिक स्थिति:** भारत ने सतर्कतापूर्वक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वह चर्चाओं से अवगत है और "राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर इसके प्रभावों का अध्ययन करेगा।"
- **सऊदी संतुलन:** रियाद भारत के साथ घनिष्ठ संबंध (रणनीतिक साझेदारी, ऊर्जा व्यापार) रखता है और इस समझौते को दिल्ली के विरुद्ध जाने से रोक सकता है।
- **सुरक्षा चिंताएं:** इस समझौते का परमाणु आयाम क्षेत्रीय हथियारों की होड़ के बारे में चिंता पैदा करता है।
- **पाकिस्तान का लाभ:** इस्लामाबाद इस समझौते का उपयोग कश्मीर मुद्दे पर अपनी ताकत दिखाने के लिए कर सकता है, हालांकि रियाद पारंपरिक रूप से तटस्थ रहा है।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** सऊदी अरब के दूसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार भारत को बढ़ती क्षेत्रीय अस्थिरता के बीच तेल आपूर्ति की सुरक्षा करनी होगी।
- **रणनीतिक सावधानी:** भारत को कूटनीतिक संतुलन की आवश्यकता होगी - सऊदी अरब के साथ साझेदारी को बनाए रखते हुए रियाद-इस्लामाबाद के घनिष्ठ संबंधों पर नजर रखनी होगी।

भारत-सऊदी संबंधों का संक्षिप्त अवलोकन -

- **व्यापार और ऊर्जा:** द्विपक्षीय व्यापार **42.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023-24)**; **सऊदी अरब भारत के कच्चे तेल के आयात का 20% आपूर्ति करता है।**
- **रणनीतिक साझेदारी: दिल्ली घोषणा (2006)** और **रियाद घोषणा (2010)** के माध्यम से उन्नत।
- **राजनीतिक जुड़ाव:** प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय यात्राएं (2016, 2019, 2023); क्राउन प्रिंस एमबीएस ने 2019 और 2023 में भारत का दौरा किया।
- **आतंकवाद-विरोध:** रियाद ने पुलवामा (2019) की निंदा की और तटस्थता दिखाते हुए भारत के बालाकोट हमलों की आलोचना करने से परहेज किया।
- **रक्षा सहयोग:** संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, सूचना-साझाकरण और आतंकवाद-निरोध पर संवाद।
- **सांस्कृतिक संबंध:** सऊदी अरब में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी (लगभग 2.5 मिलियन), जो प्रतिवर्ष अरबों डॉलर भेजते हैं।

भू-राजनीतिक और क्षेत्रीय महत्व -

- **खाड़ी सुरक्षा संरचना में बदलाव:** परमाणु शक्ति संपन्न पहले अरब देश के साथ रक्षा समझौता → अमेरिकी छत्रछाया पर निर्भरता में कमी।
- **नया धुरी संगठन:** ईरान और इजरायल के विरुद्ध सऊदी-पाकिस्तान गुट का संभावित उदय।
- **परमाणु मिसाल:** दक्षिण एशिया से परे परमाणु प्रसार या "परमाणु छत्र" व्यवस्था की आशंकाएं पैदा करता है।
- **क्षेत्रीय अस्थिरता:** इस समझौते से तेहरान के साथ तनाव बढ़ सकता है, तथा शिया-सुन्नी ध्रुवीकरण गहरा सकता है।
- **इजरायल के लिए संकेत:** इजरायल के विस्तारित आक्रमणों के बीच यह एक कड़ा संदेश है, जिससे टकराव का खतरा बढ़ सकता है।
- **वैश्विक आयाम:** ऊर्जा बाजार, होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन सुरक्षा और समग्र पश्चिम एशियाई स्थिरता पर प्रभाव - भारत, चीन और यूरोपीय संघ पर प्रत्यक्ष परिणाम।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत में प्राथमिक खाद्य उपभोग को समान बनाना

संदर्भ

हालांकि **वर्ल्ड बैंक (2025)** ने अत्यधिक गरीबी में 2011-12 के 16.2% से 2022-23 में 2.3% तक की तेज़ गिरावट को नोट किया, **CRISIL** द्वारा विकसित "थाली भोजन(thali meal)" सूचकांक आय-आधारित गरीबी माप से परे गहरी असमानताओं को दर्शाता है।

गरीबी मापन के पारंपरिक मापदंड -

- **कैलोरी-आधारित गरीबी रेखाएँ: प्रारंभिक भारतीय गरीबी रेखाएँ (अलघ समिति, 1979) गरीबी को ग्रामीण क्षेत्रों में 2,400 कैलोरी** और **शहरी क्षेत्रों में 2,100 कैलोरी की** खपत के लिए आवश्यक आय के रूप में परिभाषित करती थीं। इस दृष्टिकोण ने गरीबी को शारीरिक आवश्यकताओं से जोड़ा।
- **तेंदुलकर समिति (2009): कैलोरी मानदंड से हटकर उपभोग व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया**, जिसमें भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, वस्त्र और आवास शामिल थे। गरीबी अब केवल भोजन की पर्याप्तता तक सीमित नहीं थी, बल्कि समग्र जीवन स्तर तक सीमित थी।
- **रंगराजन समिति (2014):** मुद्रास्फीति और बदलती जरूरतों को प्रतिबिंबित करते हुए व्यापक उपभोग को शामिल करने के लिए गरीबी रेखा को संशोधित किया गया।
- **विश्व बैंक का वैश्विक मीट्रिक: अत्यधिक गरीबी को 2.15 डॉलर प्रतिदिन (पीपीपी)** पर जीवनयापन के रूप में परिभाषित करता है। इसके अनुसार, भारत की गरीबी **2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% हो गई**।
- **आय/उपभोग गरीबी मापकों की सीमाएं:** ये पोषण गुणवत्ता, खाद्य विविधता और संतुलित आहार की वास्तविक सामर्थ्य को नजरअंदाज करते हैं, जिसके कारण अभाव का कम आकलन होता है।
- **"थाली सूचकांक" जैसे नए मापदंड:** जैसा कि लेख में तर्क दिया गया है, यह मापना कि क्या परिवार प्रतिदिन दो संतुलित भोजन (थाली) खरीद सकते हैं, भोजन की पर्याप्तता का एक यथार्थवादी और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक माप प्रदान करता है।

गरीबी में कमी के बावजूद भोजन का अभाव क्यों बना हुआ है?

- **अवशिष्ट खाद्य व्यय:** परिवार सबसे पहले किराए, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करते हैं। भोजन एक अवशिष्ट मद बन जाता है, जिसके परिणामस्वरूप गरीब परिवार अक्सर कम उपभोग करते हैं।
- **संतुलित भोजन की उच्च लागत:** 2023-24 में, 50% ग्रामीण और 20% शहरी परिवार 30 रुपये प्रति थाली की दर से प्रतिदिन दो थाली नहीं खरीद पाएं, जबकि आधिकारिक गरीबी दर कम है।
- **खाद्य विविधता में असमानता:** जबकि अनाज की खपत सभी आय वर्गों में समान हो गई है, फिर भी प्रोटीन युक्त दालों का उपभोग गरीबों द्वारा कम किया जाता है - सबसे गरीब 5% लोग सबसे अमीर 5% लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली दालों का केवल आधा ही उपभोग करते हैं।
- **सब्सिडी का अकुशल लक्ष्यीकरण:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली (**PDS**) संपन्न परिवारों को भी अनाज उपलब्ध कराती है। ग्रामीण भारत में, शीर्ष 10% लोगों को प्रति व्यक्ति सब्सिडी लगभग उतनी ही मिलती है जितनी निचले 5% लोगों को।
- **खाद्य योजनाओं का अपर्याप्त विविधीकरण:** अधिकांश सरकारी योजनाएं (**PDS**, एनएफएसए, पीएमजीकेएवाई) चावल/गेहूं वितरित करती हैं, न कि संतुलित उपभोग के लिए आवश्यक व्यापक पोषण टोकरी।
- **आधिकारिक गरीबी अनुमानों और वास्तविक अभाव के बीच बेमेल:** विश्व बैंक के आंकड़े गरीबी उन्मूलन का संकेत देते हैं, फिर भी खाद्य अभाव व्यापक रूप से बना हुआ है, जो केवल आय के मानकों पर निर्भर रहने की खामियों को उजागर करता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

उपलब्धियां	सीमाएँ
• **मुख्य खाद्य सुरक्षा:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने सफलतापूर्वक सभी वर्गों में **अनाज की खपत को समान बना दिया है**; सबसे गरीब और सबसे अमीर दोनों ही समान मात्रा में चावल और गेहूं का उपभोग करते हैं। • **व्यापक कवरेज:** 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के साथ, **PDS** एक विशाल आबादी के लिए खाद्यान्न पहुंच सुनिश्चित करता है। • **संकट के दौरान भूमिका:** कोविड-19 के दौरान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया, जिससे व्यापक भुखमरी को रोका जा सका। • **अत्यधिक गरीबी में कमी:** हाल के वर्षों में गरीबी दर में कमी के पीछे मुफ्त और सब्सिडीयुक्त भोजन एक प्रमुख कारक रहा है। • **विकेंद्रीकरण और डिजिटलीकरण:** स्मार्ट राशन कार्ड, आधार लिंकेज और वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) ने पारदर्शिता और पोर्टेबिलिटी में सुधार किया। • **शहरी-ग्रामीण समानता:** शहरी भारत में, **PDS** सब्सिडी अधिक **प्रगतिशील है**, जिससे कमजोर प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों को मदद मिलती है।	• **अनाज पर अत्यधिक जोर:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली(PDS) मुख्य रूप से चावल और गेहूं वितरित करती है, हालांकि अनाज अब घरेलू व्यय और आहार संबंधी आवश्यकताओं का केवल 10% ही है। • **असमान सब्सिडी वितरण:** ग्रामीण भारत में, सबसे अमीर 10% लोगों को सबसे गरीब 5% लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी राशि का 88% हिस्सा प्राप्त होता है , जबकि उन्हें सहायता की आवश्यकता नहीं होती। • **रिसाव और अकुशलताएं:** छद्म लाभार्थी, अनाज का विपथन, और भंडारण हानियां। • **पोषण की उपेक्षा:** दालें, तेल, सब्जियां और प्रोटीन **PDS** से बड़े पैमाने पर अनुपस्थित हैं, जिससे पोषण संबंधी अभाव की समस्या का समाधान नहीं हो पाता। • **राजकोषीय और संभार-तंत्रीय बोझ:** 80 करोड़ लोगों तक अनाज सब्सिडी का विस्तार करने से राजकोष पर दबाव पड़ता है और संसाधन भंडारण और खरीद में फंस जाते हैं, जिससे राजकोषीय लचीलापन सीमित हो जाता है। • **कमजोर लक्ष्यीकरण:** सार्वभौमिक या लगभग सार्वभौमिक कवरेज का अर्थ है कि सब्सिडी का वितरण कम है, जिससे गैर-गरीबों को लाभ मिलता है, जबकि वास्तव में वंचित लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

आगे की राह -

- **सब्सिडी का ध्यान अनाज से हटाकर दालों पर केंद्रित करना:** दालें कई भारतीयों के लिए प्रोटीन का एकमात्र स्रोत हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में दालों की उपलब्धता बढ़ाने से छिपी हुई भूखमरी और पोषण संबंधी कमियों को दूर किया जा सकता है।
- **सब्सिडी लक्ष्यीकरण का पुनर्गठन:** उचित मानक (जैसे, प्रतिदिन 2 थाली से अधिक) से अधिक उपभोग करने वालों के लिए सब्सिडी समाप्त करना। केवल उन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करें जो वास्तव में भोजन से वंचित हैं।
- **खाद्य पदार्थों में विविधता लाना:** राष्ट्रीय पोषण लक्ष्यों के अनुरूप आहार की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए **PDS** में धीरे-धीरे बाजरा, दालें और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करना।
- **निगरानी के लिए "थाली सूचकांक" का उपयोग करना:** वास्तविक खाद्य सुरक्षा प्रगति का आकलन करने के लिए संतुलित भोजन (केवल अनाज नहीं) की सामर्थ्य पर नज़र रखना।
- **अधिकारों को युक्तिसंगत बनाना:** गैर-गरीबों के लिए अनाज का कोटा कम करना; दालों और पोषण सहायता के लिए संसाधनों का पुनर्वितरण करना। इससे एफसीआई की भंडारण आवश्यकताओं में भी कमी आएगी।

- **पोषण कार्यक्रमों के साथ एकीकरण:** समग्र पोषण-सुरक्षा जाल बनाने के लिए PDS सुधारों को पोषण अभियान, आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन के साथ समन्वयित करना।

स्रोत: द हिंदू

नया रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा

संदर्भ

यूरोपीय संघ (EU) ने हाल ही में भारत के साथ एक नए रणनीतिक एजेंडे की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य संबंधों को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाना है।

पृष्ठभूमि

- **यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार आर्थिक-क्षेत्र है और निवेश एवं प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख स्रोत है।**
- यूरोपीय संघ-भारत सामरिक साझेदारी को 2004 में औपचारिक रूप दिया गया था, जिसमें व्यापार, जलवायु और सुरक्षा पर क्षेत्रीय वार्ताएं शामिल थीं।
- **पिछली पहलें:** यूरोपीय संघ-भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (2023), मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चर्चा, और कनेक्टिविटी पर संयुक्त कार्य (आईएमईसी)।

नए एजेंडे के अंतर्गत प्रमुख कार्य -

आर्थिक और व्यापार सहयोग

- **मुक्त व्यापार समझौता (FTA):** यूरोपीय संघ का लक्ष्य 2025 के अंत तक भारत के साथ दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना है।
- **आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण:** चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करने और लचीले नेटवर्क बनाने के लिए साझेदारी।
- **प्रौद्योगिकी सहयोग:** टीटीसी के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और एआई पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- **स्टार्ट-अप और अनुसंधान एवं विकास साझेदारी:** यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ-भारत स्टार्ट-अप साझेदारी और होराइजन यूरोप अनुसंधान कार्यक्रम के साथ भारत के सहयोग का प्रस्ताव रखा है।
- **यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा साझेदार:** वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार निरंतर बढ़ रहा है, तथा यूरोपीय संघ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक स्थिर स्रोत है।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

- **सुरक्षा और रक्षा साझेदारी:** समुद्री सुरक्षा, संकट प्रबंधन, आतंकवाद निरोध और साइबर रक्षा के लिए रूपरेखा।
- **रक्षा औद्योगिक सहयोग:** रक्षा प्रौद्योगिकियों में उत्पादन, नवाचार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना।
- **सूचना साझाकरण:** वर्गीकृत डेटा के आदान-प्रदान की अनुमति देने के लिए सूचना सुरक्षा समझौते पर बातचीत।
- **हिन्द-प्रशांत सहयोग:** समुद्री सुरक्षा, संकर खतरों और अंतरिक्ष पर अधिक संरेखण।

कनेक्टिविटी और वैश्विक जुड़ाव

- **आईएमईसी कॉरिडोर:** यूरोपीय संघ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर का समर्थन करता है, जो उसकी अपनी ग्लोबल गेटवे पहल का पूरक है।
- **बहुपक्षवाद:** नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, जी-20 और जलवायु मंचों में समन्वय।
- **जलवायु परिवर्तन:** स्वच्छ ऊर्जा, सतत वित्त और हरित प्रौद्योगिकियों पर संयुक्त पहल।

गतिशीलता और लोगों के बीच संबंध

- **गतिशीलता ढाँचा:** अध्ययन, कार्य और अनुसंधान के अवसरों को कवर करना।
- **कौशल गतिशीलता:** श्रम गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का शुभारंभ।
- **नागरिक समाज सहभागिता:** थिंक टैंक, युवाओं और नागरिक समाज के साथ सहयोग का विस्तार करना।
- **यूरोपीय संघ-भारत व्यापार मंच:** निजी क्षेत्र के सहयोग को गहरा करना।

साझेदारी में चुनौतियाँ -

- **रूस कारक:** यूरोपीय संघ ने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद और मास्को के साथ सैन्य अभ्यास में भागीदारी की आलोचना की।
- **भिन्न राजनीतिक प्राथमिकताएं:** यूरोपीय संघ यूक्रेन और प्रतिबंधों पर जोर देता है, जबकि भारत बिना किसी गुटबाजी के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है।
- **व्यापार विवाद:** बाजार पहुंच, टैरिफ और नियामक बाधाओं पर चिंताएं।
- **मानवाधिकार मतभेद:** भारत की घरेलू नीतियों की यूरोपीय संघ द्वारा समय-समय पर आलोचना।
- **कार्यान्वयन अंतराल:** पिछले एजेंडों के क्रियान्वयन में देरी हुई; इतिहास दोहराने का जोखिम।

आगे की राह -

- **FTA वार्ता को अंतिम रूप देना:** एक संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौता नए एजेंडे का केंद्र बिंदु है।
- **रक्षा संबंधों को मजबूत करना:** संवाद से आगे बढ़कर संयुक्त अभ्यास, प्रौद्योगिकी साझाकरण और सह-विकास की ओर बढ़ना।
- **कनेक्टिविटी को क्रियान्वित करना:** IMEC को तीव्र गति से आगे बढ़ाना तथा EU के ग्लोबल गेटवे के साथ एकीकृत करना।
- **गतिशीलता को संस्थागत बनाना:** छात्रों, श्रमिकों और शोधकर्ताओं के लिए दीर्घकालिक ढांचा तैयार करना।
- **राजनीतिक मतभेदों को दूर करना:** रूस और अन्य मुद्दों पर मतभेदों को प्रबंधित करने के लिए रणनीतिक वार्ता का उपयोग करना।
- **परिणामोन्मुखी साझेदारी:** रिपोर्टों से आगे बढ़कर ऊर्जा, तकनीक और सुरक्षा में मापनीय सहयोग की ओर बढ़ना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस